कालू लाल बनाम सरकार

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 19/463

30.12.2019	पत्रावली पेश हुई । रिव्यू प्रार्थना पत्र अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 के खिलाफ पेश किया है और यह कथन किया है कि वादीगण के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण से खारिज किया है । अपील इस न्यायालय में पेश की गई और इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह माना गया है कि दावे में केवल वादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर हैं अन्य वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । परन्तु एक मुख्तारनामा प्रदर्श– 2 ए के रूप में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है उसमें शेष वादीगण के द्वारा वादी संख्या 01 को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है । प्रदर्श– 2 ए मुख्तारनामा का अवलोकन करने से रह गया है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.09.2019 निरस्त फरमाया जावे । अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श– ए के रूप में एक मुख्तारनामे की फोटो प्रति संलग्न है परन्तु दावा वादी बाबत् हक घोषणा डिक्री होने योग्य नहीं है क्योंकि वादीगण के द्वारा जो कमी रकबे की पूर्ति के लिए दावा पेश किया गया है उसको प्रमाणित नहीं किया है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न मुख्तारनामे की फोटो प्रति का अवलोकन किया । मुख्तारनामे की फोटो प्रदर्श– 2ए के रूप में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसमें वादी संख्या 3 नन्दबाई पुत्री रामा वादी संख्या 04 रामदेव, वादी संख्या 05 रतन, वादी संख्या 06 मोती लाल पुत्रान् लाली बाई और वादी संख्या 07 सजना पुत्री लाली बाई की ओर से एक मुख्तारनामा कालूलाल आत्मज रामा के पक्ष में निष्पादित किया है जो नोटेरी से तस्दीकशुदा है । इस प्रकार यह मुख्तारनामा सहवन अवलोकन से रह गया है । वादीगण के द्वारा दावे के शीर्षक में नन्दबाई को भी लाली बाई के पिसरान के रूप में अंकित किया गया है जबकि नन्दूबाई रामा की पुत्री है । वादी संख्या 03 से 7 के द्वारा वादी संख्या 1 को अपना मुख्तार नियुक्त किया गया है और वादी संख्या 1 व 2 की ओर से दावा पेश किया गया है और पूर्व निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इस मुख्तारनामे का सहवन से अवलोकन रह गया है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 को अपास्त किया जाता है । अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24.01.2020 को पेश हो । निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । 30/12/19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा